

शपथ पत्र

(60 वर्ष उपरान्त पेंशन)

मैं _____ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री _____

निवासी _____ जिला _____ बोर्ड पंजीकरण

संख्या _____ पंजीकरण तिथि _____ सत्यनिष्ठापूर्वक

निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरी आयु दिनांक _____ को साठ वर्ष पूर्ण हुई है जो बोर्ड में दर्ज रिकार्ड दस्तावेजों के अनुसार सही है जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
2. मैं किसी भी सरकारी विभाग/संस्था/बोर्ड/निगम से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।
3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा से बुढापा सम्मान भत्ता नहीं ले रहा/रही हूँ तथा मैंने उक्त विभाग के जिला कार्यालय से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या _____ दिनांक _____ प्राप्त किया है जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
4. मेरी पेंशन के साथ मेरी आधार संख्या को जोडने व बैंकों/सरकारी विभागों के साथ सूचना सांझा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
5. प्रत्येक वर्ष के अन्तिम माह दिसम्बर तक अगर मेरे द्वारा जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो बोर्ड को मेरी पेंशन बंद करने का अधिकार होगा।

ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवम् विश्वास के अनुसार सही व सत्य है यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर पेंशन प्राप्त की जाती है तो बोर्ड को मेरी पेंशन बंद करने व प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो0 नं0: _____